19/10/2022

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

आवेदक अंकित सहित श्री उमराव सिंह अधिवक्ता उपस्थित।

पत्रावली केस डायरी की प्रतीक्षा एवं आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र उदयपुरा से केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक की ओर से मूल रजिस्ट्रेशन एवं बीमा की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 457 द0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदन संक्षेप में यह है कि आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य का **वाहन कार कमांक एम.पी. 20 सी.एफ. 0953** थाना उदयपुरा ने जप्त किया है। उक्त वाहन का आवेदक मालिक व स्वामी है। उक्त वाहन आवेदक के निजी कार्य का है। वाहन बिना देखरेख के खडा हुआ है, जिसमें खराबी आने की पूर्ण संभावना है। आवेदक को दैनिक एवं व्यावसायिक कार्य संपादन हेतु वाहन की आवश्यकता है। आवेदक को उक्त वाहन मय दस्तावेज सुपुर्दगी में दिये जाने की दशा में न्यायालय की समस्त शर्तो का पालन करने तत्पर है।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि थाना उदयपुरा में पंजीबद्ध अपराध कमांक–344/2022 अंतर्गत धारा– 279, 337 भा.दं.सं. की जांच के दौरान अपराध घटित होने के आधार पर **वाहन कार कमांक एम.पी. 20 सी.एफ. 0953** जप्त किया जा चुका है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत मूल रजिस्ट्रेशन एवं बीमा की छायाप्रति अनुसार उक्त वाहन आवेदक अंकित पिता माधव प्रसाद व्यास के नाम पंजीकृत है एवं उक्त वाहन दिनांक 01/04/2023 तक (अर्थात् घटना दिनांक को) बीमित होना परिलक्षित होता है। अन्य कोई दावेदार भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सुंदरलाल अंबाभाई देसाई वि0 गुजरात राज्य आदि ए0 आई0 आर0–2003 एस0सी0 638** में अभिनिर्धरित किया गया था कि जप्तशुदा वाहन के संबंध में शीघ्र से शीघ्र अंतरिम अभिरक्षा पर विचार किया जाना चाहिये एवं जप्तशुदा वाहन का अधिक समय तक आरक्षी केन्द्र में जप्त रहने देने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रकरण में निराकरण में समय लगने से इंकार नही किया जा सकता है। जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी में न दिये जाने की दशा में उसके खराब होने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदक प्रश्नगत वाहन का प्रथम दृष्ट्या उचित अभिधारी दर्शित होने से उक्त वाहन अंतरिम अभिरक्षा पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप आवेदक का आवेदन धारा 457 द0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। आदेशित किया जाता है कि आवेदक 6,00,000/– रूपये (छः लाख रूपये) का सुपुर्दगीनामा निम्न शर्तो के अधीन अंतरिम सुपुर्दगी पर छायाचित्र लेकर दिया जावे कि–

1. वह संपत्ति को किसी भी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . .

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
को अंतरित नही करेगा। 2. वह संपत्ति को सुरक्षित एवं उचित देखरेख में रखेगा। 3. वह न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर स्वयं के व्यय पर उक्त संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। उपरोक्तानुसार सुपुर्दनामा प्रस्तुत करने पर आरक्षी केन्द्र उदयपुरा को जप्तशुदा वाहन **वाहन कार कमांक एम.पी. 20 सी.एफ. 0953 आवेदक/सुपुर्ददार अंकित व्यास पिता माधव प्रसाद व्यास, निवासी– ई–20 साकार हिल व्यू कालोनी नजदीक माईलस्टोन जिम, शांति नगर जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र.** को विधिवत सुपुर्दगी पर प्रदत्त किये जाने हेतु आदेश प्रेषित किया जावे। आरक्षी केन्द्र को निर्देशित किया जाता है कि वह वाहन का चतुरकोणीय छायाचित्र लिया जाकर पंचनामा निर्मित करना व हस्ताक्षरित कराना सुनिश्चित करें। आदेश अपलोड किया जावे। आदेश की एक प्रतिलिपि अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावे। केस डायरी वापस की जावे, पावती ली जावे। सुपुर्दनामा पेश किए जाने पर प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस/पंजी में दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा हो। (वरूण चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उदयपुरा, जिला–रायसेन (म0प्र0) पुनश्चः– आदेश के पालन में प्रकरण में जप्तशुदा **वाहन कार कमांक एम.पी. 20 सी.एफ. 0953** के संबंध में **आवेदक/सुपुर्ददार अंकित व्यास पिता माधव प्रसाद व्यास, निवासी– ई–20 साकार हिल व्यू कालोनी नजदीक माईलस्टोन जिम, शांति नगर जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र.** द्वारा स्वयं का 6,00,000/– रूपये (छः लाख रूपये) का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया। उसकी पहचान श्री उमराव सिंह अधिवक्ता के द्वारा की गई। सुपुर्दगीनामा बाद तस्दीक स्वीकार किया गया।	मैं सुपुर्दगी के पश्चात् … Ankit vyas … (… कार्ड) Ankit vyas

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

जप्तशुदा वाहन आवेदक अंकित को लौटाये जाने के संबंध में सुपुर्दगी आदेश जारी किया जावे।

मूल दस्तावेज की छायाप्रति अभिलेख पर लेकर मूल आवेदक को वापस किये जाये।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस/पंजी में दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा हो।

(वरूण चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
उदयपुरा, जिला-रायसेन (म0प्र0)